संख्या 7548 /नौ-4-10-55ई/01

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊः दिनांक 13 जनवरी, 2011

विषय- **उ.प्र.पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों के सृजन के संबंध में मानक निर्धारित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3/295(1)-शा/मानक निर्धारण समिति बैठक/09, दिनांक 4.9.2009 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ.प्र.पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों के सृजन के संबंध में मानक निर्धारण हेतु दिनांक 2.9.2009 को हुयी समिति की बैठक की संस्तुति/कार्यवृत्त संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र.पालिका (केन्द्रीयित) सेवा के अभियन्त्रण विभाग के सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों के सृजन के संबंध में मा.समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त एतद्द्वारा निम्न मानक निर्धारित किया जाता है :-

1- नगर निगमों में एक अधिशासी अभियन्ता पद पर 03 सहायक अभियन्ता के पद।

2- जिन निकायों की आबादी 50 हजारी से डेढ़ लाख तक है, में एक सहायक अभियन्ता एवं जहॉ की आबादी डेढ़ लाख से अधिक एवं 4 लाख तक है, वहॉ 02 सहायक अभियन्ता, 4 लाख या इससे अधिक की आबादी पर 03 सहायक अभियन्ता के पद।

3- इसके अतिरिक्त ऐसी निकाय (जिनकी जनसंख्या यद्यपि 50 हजार से कम है किन्तु जनपद की मुख्यालय है) में सहायक अभियन्ता का 01 पद ।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।